परिपत्र संख्या - वि0अनु0शा0/ 2022-23/ 460 / कम्प्युटर परिपत्र संख्या / 2223010 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)
दिनांक: 20 मई, 2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड - 1,
अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0),
संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0 / कार्यपालक / कॉर्पोरेट),
उपायुक्त / सहायक आयुक्त,
राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रांत के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किये जाने वाले FORM GSTR-3B में घोषित करदेयता के विरुद्ध ITC के समायोजन के सम्बंध में GSTN द्वारा भेजे गए डाटा के आधार पर विभागीय वेबसाइट पर GST MIS के Red Flag Module में उपलब्ध कराया गया है।

Red Flag Module पर उपलब्ध विवरण की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के 22297 मामलों में GSTR-3B एवं GSTR-2A में रू0 3213.35 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 में GSTR-3B एवं GSTR-2A की 33104 मामलों में रू0 1024172.92 करोड़ की ITC की भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2017-18 के मामलों में धारा-73 के अन्तर्गत दिनांक: 05-02-2023 तक विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के मामलों में धारा-73 के अन्तर्गत दिनांक: 31-12-2023 तक विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु Red Flag Module पर उपलब्ध मामलों में समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। किसी भी मामले के कालबाधित हो जाने के कारण राजस्व क्षति होने पर सम्बंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यह भी निर्देशित किया जाता है कि Red Flag Module पर उपलब्ध मामलों में कृत कार्यवाही का विवरण खण्ड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध Entry Module में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा, जिससे कृत कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

20/5/2022
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त</u>

प्रतिलिपि: संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश